

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प
स्थान ~~उडवा~~ दिनांक 23/5/16

23/5/16

पम्पावली भाष्य राजस्व लोक अदालत
केम्प उडवा पर पेरा दुई पम्पावली
का अवलोकन किया गया।
पार्सी के ग्राम शाली के स्का. नं.
307 के बाल से नाम प्ररीलाल
पुत्र बरदा तथा स्का. नं. 14, 21,
178, 179, 230, 231, 232, 298, 298
302 से नाम प्ररया बेटा विरधा
द्वारा पार्सी द्वारा कोर्ट पहचान
पत्र नं. R.O/19/115/540664 रि. 6
31-10-2008 से पेरा किया, मिलने
पुनः

शायी का नाम प्ररीलाल की ही
राजपत्रकार्ड में भी शायी का नाम
प्ररीलाल ही

साथ ही शायी द्वारा अपनी
वलीयत वरदा व विधा के
स्थान पर विरधीलाल नाम
का अनुलोप चाहा है, जो
सम्मान प्रचक संस्था की तारीफ
में आता है।

अतः सम्मान प्रचक नाम
राजपत्र कार्ड में दर्ज करने
के प्रयोजन हेतु शायी नाम
शायी लीकार्ड किया जाकर
यह आदेश रिये जाते हैं, कि
ग्राम रावली के खत नं. 307 पर
शायी का पिता " प्ररीलाल
पुत्र वरदा " के स्थान पर " प्ररीलाल
पुत्र विरधीलाल " तथा खत नं.
14, 21, 178, 179, 230, 231, 232,
298, 298/612 व 302 पर अंकित
" प्रया वेटा विरधा " के स्थान
पर " प्ररीलाल पुत्र विरधीलाल "
अंकित किया जावे। उक्त
खतों में बकाया अंकन.


अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

बदलकर रहेगा।

राज्य अभिलेख संख्या
डकमी की पावी

पन्नावली फॉसल शुमार होकर
बाद तामील तक्रमील व तामील
दारीवला दफतर ही

निर्णय आज दि० 23/5/2016
को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
राज्य लोक अदालत-2016 केस
305वा पर सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
I. A. S. जैशंकर
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमन्डी